प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1084/2019

1. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपने शाखा प्रबंधक के द्वारा , शाखा कार्यालय–ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा, तहसील और जिला– कोरबा, छत्तीसगढ़ .....(अनावेदक संख्या 5), जिला:कोरबा, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी/अनावेदक सं. 5

बनाम

1. श्रीमती. पुष्प सागर पति अमृतलाल सागर , 40 वर्ष

2.अमृतलाल सागर पिता स्वर्गीय मंगल राम सागर 41 वर्ष

3. अरुण कुमार सागर पिता अमृतलाल सागर,16 वर्ष

4.आदित्य कुमार–सागर पिता अमृतलाल सागर 10 वर्ष, उत्तरवादी संख्या 3 और 4 नाबालिग हैं अपने पिता–अमृतलाल सागर के द्वारा

समस्त सारथी जाति के हैं तथा गाँव छुड़ी, तहसील कटघोरा, जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़ के निवासी है ।

5. नरेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय श्री गोपाल प्रसाद तिवारी 40 वर्ष निवासी मेलनाडीह, निवासी पिता–रतनपुर, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़। (अनावेदक संख्या 1),

6. चित्तगोविंद पिता हुलासराम दुबे निवासी पुलिस लाइन कोरबा, जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़। (अनावेदक संख्या 2),

7. रानिवासीश कुमार पिता शंकर दयाल श्रीवास निवासी विजय नगर चकबुड़ा, तहसील कटघोरा, जिला–पिटारबा, छत्तीसगढ़। (अनावेदक संख्या 3),

8. मेसर्स आर. के. ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी लिमिटेड कोरबा, पता–प्लॉट नंबर 65 ए ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़।जिला :कोरबा, छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :––श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 से 3 हेतु :––श्री प्रवीण धुरुंदर, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 4 से 8 हेतु :––कोई नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

11/06/2025

1. अपीलकर्ता–बीमा कंपनी ने विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कटघोरा जिला कोरबा (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 15.3.2019 के अधिनिर्णय को इस आधार पर चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की है कि दावा न्यायाधिकरण ने आश्रितता की हानि के मद में दावेदारों को अत्यधिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है, जो कि मृतक बच्चे के माता–पिता और भाई–बहन हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 22.5.2017 को स्कूटी मोपेड, जिसमें आलोक कुमार (मृतक) पीछे बैठे थे, को इंडिका विस्टा कार जिसका रजिस्ट्रेशन मार्क CG12-D-9062 है, ने टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप आलोक कुमार स्कूटी से सड़क पर गिर गए, पीछे से आ रहे ट्रक के पहिये के नीचे आ गए और कुचल गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें घातक चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 166 के तहत एक आवेदन, जिसमें ब्याज सहित 90,00,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी, दावेदारों द्वारा दायर किया गया था, जो मृतक बच्चे के माता–पिता और भाई–बहन हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने एक श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी को अपनाते हुए, आश्रितता की हानि की गणना के लिए मृतक की अनुमानित मासिक आय के रूप में 8,190/– रुपये प्रति माह की राशि पर विचार किया, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ा; व्यक्तिगत खर्चों और 15 के गुणक के लिए 50% कटौती लागू की और कुल 10,31,940/– रुपये का क्षतिपूर्ति दिया गया ।अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15,000/– रुपये, कष्ट और पीड़ा आदि के लिए 20,000/– रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000/– रुपये भी जोड़े गए, जिससे कुल 7% प्रति वर्ष ब्याज सहित 10,81,940 रुपये का क्षतिपूर्ति दिया गया ।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि 14 वर्षीय बच्चे की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 10,81,940/– रुपये का अधिनिर्णय अत्यधिक, अत्यधिक है और नाबालिग बच्चे की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि किसी भी स्थिति में, 5,00,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति इस मामले में अधिनिर्णित की जाने वाली अधिकतम राशि होती है।उन्होंने कहा कि दावा न्यायाधिकरण ने राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर बच्चे के संबंध में 8,190 रुपये की आय मानकर गंभीर त्रुटि की है।चूँकि मृतक केवल 14 वर्ष का बच्चा था, अतः आश्रितता की हानि का निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जाना चाहिए था,

न कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर।इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि मृतक एक नाबालिग था जिसकी कोई आय नहीं थी और इसलिए, उसके संबंध में भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।इस प्रकार, मोटर वाहन दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति की गणना में दावा न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति सही नहीं है और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **(2001) 8 एससीसी 197 में रिपोर्ट किए गए लता वाधवा बनाम बिहार राज्य और (2014) 1 एससीसी 244** में रिपोर्ट किए गए किशन गोपाल और अन्य बनाम लाला और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख दिया गया।

5. दावेदारों/उत्तरवादी संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हुए कहा कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा की गई क्षतिपूर्ति की गणना सही है और इसमें किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख में उपलब्ध आक्षेपित निर्णय और दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस अपील में निर्धारण का विवाद्यक यह है कि क्या 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु के प्रकरण में क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए आय की गणना हेतु दावा न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति उचित थी या नहीं।

8. किसी बच्चे की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए, प्रारंभिक प्रवृत्ति बच्चे की आयु के आधार पर एकमुश्त राशि प्रदान करने की थी।हालाँकि, **लता वाधवा (सुप्रा)** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों को दो श्रेणियों में विभाजित किया, एक में 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे और दूसरे में 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल थे।पहली श्रेणी के लिए, एकमुश्त क्षतिपूर्ति निर्धारित किया गया था, जबकि दूसरी श्रेणी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काल्पनिक आय के साथ–साथ गुणक भी निर्धारित किया था।बाद में, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु पर एकमुश्त धनराशि प्रदान करने की पद्धति को त्याग दिया गया और किसी भी आयु के बच्चों की मृत्यु के मामले में देय क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु गुणक पद्धति को एकल मानक पद्धति के रूप में अपनाया जाने लगा।प्रारंभ में, 15 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु की स्थिति में, 1988 के अधिनियम की धारा 163ए की द्वितीय अनुसूची के अनुसार 15,000/– रुपये की काल्पनिक आय को अपनाया जा रहा था, जिसे समय–समय पर लागत मुद्रास्फीति सूचकांक आदि को ध्यान में रखते हुए संशोधित/बढ़ाया जाता था।

9. **किशन गोपाल (सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, 19.7.1992 को सड़क दुर्घटना में मृत 10 वर्षीय बच्चे की काल्पनिक आय का आकलन करते समय, यह देखते हुए कि 1994 के बाद से रुपये का मूल्य काफी कम हो गया है और दूसरी अनुसूची में उल्लिखित राशि अपर्याप्त होगी, आय को 15,000 रुपये प्रति वर्ष (गैर–कमाऊ सदस्य के लिए दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट राशि) निर्धारित करने से इनकार कर दिया।इसलिए,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लागत मुद्रास्फीति सूचकांक आदि को ध्यान में रखते हुए, 30,000/– रुपये प्रति वर्ष की काल्पनिक आय निर्धारित की। हालाँकि, दूसरी अनुसूची 01.09.2019 से हटा दी गई है और उसके बाद से प्रवृत्ति राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर एक बच्चे की निर्भरता की गणना करने की रही है।

10. **काजल बनाम जगदीश चंद एवं अन्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट (2020) 4 एससीसी 413** में दी गई है, दिनांक 18.10.2007 को हुई एक सड़क दुर्घटना में स्थायी विकलांगता का शिकार हुई 12 वर्षीय बालिका को दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति की गणना के लिए आय की हानि की गणना करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि न्यायालयों ने 15,000 रुपये प्रति वर्ष की काल्पनिक आय लेने में गलती की है, क्योंकि बालिका 12 वर्ष की छोटी बच्ची थी और यह अभिनिर्धारित किया है कि भविष्य में आय की हानि का आकलन करने का यह उचित तरीका नहीं है क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद बालिका काम कर सकती थी और 15,000 रुपये प्रति वर्ष से कहीं अधिक कमा सकती थी। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कुशल कामगार को देय न्यूनतम मजदूरी लागू की और कहा कि यह उस न्यूनतम राशि को प्रतिबिंबित करेगी जो वह वयस्क होने पर अर्जित करती है।

11. तत्पश्चात, **मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के मामले में, जो कि (2022) 7 एससीसी 738** में रिपोर्ट किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 21.9.2010 को हुई दुर्घटना में पाँच वर्षीय बच्चे को लगी चोटों के कारण माता–पिता को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करते हुए, काजल (सुप्रा) के मामले में अपने निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह टिप्पणी की कि काल्पनिक आय की गणना एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए।यह भी देखा गया है कि कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी के अलावा, दावेदार नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य के मामले में (2017) 16 एससीसी 680 में रिपोर्ट किए गए निर्णय के मद्देनजर भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% के भी हकदार होंगे।

12. **मास्टर ज्योति राज कृष्ण के मामले** में, जिसका प्रतिनिधित्व उनके निकटतम मित्र और पिता राजेश कुमार बनाम सनी जॉर्ज ने किया था, जिसकी रिपोर्ट 2024 एससीसी ऑनलाइन केर 6875 में दी गई है, केरल उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि "यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि एक नाबालिग बच्चे की काल्पनिक आय के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का हवाला देकर, इस न्यायालय ने कभी भी एक खिलते हुए युवा मन के भविष्य की अनदेखी नहीं की है और न ही बच्चे के उज्ज्वल भविष्य और उन संभावनाओं पर अपनी आँखें मूँद ली हैं जो इस घातक दुर्घटना के बिना उसके लिए सुरक्षित हो सकती थीं।"

13. रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामज़ीनत खान एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन डेल 6941 में रिपोर्ट किए गए मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मृतक बच्चे की आय मानकर और भविष्य की संभावनाओं को 40% की दर से जोड़कर न्यायाधिकरण द्वारा दि गयी क्षतिपूर्ति को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया है कि दावा न्यायाधिकरण ने बच्चे की काल्पनिक आय 8,250/– रुपये की सही गणना की है।न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:––––––––

"16. सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में, निर्भरता की क्षति का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका, यहां तक कि नाबालिग के लिए भी, उस स्थान पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी को संदर्भित करना होगा जहां दुर्घटना के समय नाबालिग रहता था।

17. चूंकि काल्पनिक आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जा रही है, इसलिए भविष्य की संभावनाओं की गणना भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य, (2017) 16 एससीसी 680 में निर्धारित सिद्धांत को लागू करके 40% की दर से इस आय के आधार पर की जाएगी।

18. इसलिए, न्यायाधिकरण ने बच्चे की अनुमानित आय 8,250 रुपये की दर से सही ढंग से गणना की है, जो हिमाचल प्रदेश में अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी थी।इस प्रकार वार्षिक आय 99,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में सही ढंग से गणना की गई है। इस आय का 40%, जो 39,600 रुपये है, प्रणय सेठी (सुप्रा) के संदर्भ में भविष्य की संभावनाओं के लिए इस राशि में जोड़ा गया है।इस प्रकार, अनुमानित आय 1,38,600 रुपये के रूप में गणना की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. **सी.एम.ए. संख्या 1767/2022 में, पक्षकार शीलारानी बनाम शशिरेखा**, जिसमें 20.11.2017 को हुई एक सड़क दुर्घटना में नौ वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी, मद्रास उच्च न्यायालय ने मृतक की अनुमानित आय 60,000/– रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है और आश्रितता की हानि का आकलन करने के लिए 15 का गुणक लागू किया है।न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:–

5.2 वास्तव में, कोई भी किसी जीवन का मूल्य नहीं लगा सकता है।फिर भी, जब भी किसी अपकृत्य में जीवन नष्ट होता है, तो कानून अपकृत्यकर्ता पर क्षतिपूर्ति के साथ हानि की भरपाई करने का दायित्व डालता है, और इसलिए जीवन का मौद्रिक मूल्यांकन अपरिहार्य हो जाता है।कठिनाई इसका उचित मूल्यांकन करने में है।और अक्सर न्यायालय का मार्गदर्शन करने वाला मुख्य कारक या तो वैध व्यवसाय से वास्तविक कमाई होती है, या पीड़ित के सिद्ध कौशल या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आकलन योग्य आय अर्जित करने की क्षमता होती है।दुर्भाग्य से, एक बच्चा इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है।कुछ समय पहले तक, कानून ने बहुत ही असंवेदनशीलता से एक बच्चे के जीवन को बिना किसी आय के एक बच्चे के रूप में देखा था और एक बच्चे के जीवन को अपमानजनक रूप से महत्व दिया था।विधि मे यह नहीं समझाया गया है कि सानिया और सचिन जो कुछ भी हैं, वे इसलिए बने क्योंकि उन्हें बचपन में पलने दिया गया था।वास्तव में, हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार विकास और अवसर का सदुपयोग करके महानता प्राप्त कर सकता है।किसी बच्चे की बिना किसी

गलती के उसके जीवन का मूल्य कम करना शायद सही तरीका न हो। लेकिन विधि मे ऐसा किया गया।

9. इस मामले के तथ्यों पर गौर करें तो, यह दुखद दुर्घटना 20.11.2017 को हुई थी। यह न्यायालय मानता है कि 2017 में मुद्रास्फीति और जीवन–यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इस न्यायालय ने शकुंतला और गोविंदराज मामलों में निर्धारित किया था, 60,000/– रुपये प्रति वर्ष उचित काल्पनिक आय है, और बिना किसी कटौती के 15 को गुणक के रूप में लागू करने का विकल्प चुनता है।"

15. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से जो स्थिति उभर कर आती है वह यह है कि अतीत में मोटर वाहन दुर्घटना में मृतबच्चे की आय मान ली जाती थी और 1988 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची के आधार पर काल्पनिक आय तय की जाती थी, जिसे समय–समय पर मुद्रास्फीति, रुपये के अवमूल्यन और जीवन–यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है।1988 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची 01.09.2019 से हटा दी गई है, और उसके बाद से प्रवृत्ति यह रही है कि बच्चे की आश्रितता की गणना राज्य सरकार द्वारा उस स्थान के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की जाती है जहाँ दुर्घटना के समय ऐसा बच्चा रहता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपर्युक्त के तहत, इस न्यायालय का यह मत है कि दावा न्यायाधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक बच्चे की आय को ध्यान में रखते हुए आश्रितता की हानि की सही गणना की है।

17. दावेदारों ने साक्ष्य में तर्क दिया है और कहा है कि मृतक बच्चा कक्षा 8 वीं में पढ़ता था और एक मेधावी छात्र था।दावा न्यायाधिकरण के बयान पत्र में बच्चे की माँ का व्यवसाय 'शिक्षक' बताया गया है। न्यायाधिकरणों/न्यायालयों द्वारा बार–बार यह दोहराया गया है कि यदि मृत बच्चा अपनी सामान्य आयु तक जीवित रहता, तो वयस्क होने के बाद, नाबालिग कमाना शुरू कर देता तथा अपने माता–पिता पर कुछ राशि खर्च करता; तथा आय में वृद्धि के साथ, नाबालिग की आय पर माता–पिता की निर्भरता भी बढ़ जाती है । इसलिए, माता–पिता को क्षतिपूर्ति देने के लिए नाबालिग बच्चे की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मामले में भविष्य की संभावना का सिद्धांत लागू होगा।इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, दावा न्यायाधिकरण ने आश्रितता की हानि की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के लिए आय का 40% जोड़ने में कोई त्रुटि नहीं की है।

18. पूर्वोक्त के लिए, अपीलकर्ता की ओर से दायर अपील में कोई सार नहीं है, यह खारिज किए जाने योग्य है तथा तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/–

(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur